न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 69 / 2017 दायर दिनांक 19.07.2017

उनवान

1. सुशीला पत्नी रोशनलाल जाति जायसवाल, आयु वयस्क, निवासी उचनारखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— वादी

बनाम

1. रामलाल पिता हेमराज जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी उचनारखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. रामेश्वर पिता हेमराज जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी उचनारखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. गायत्री पुत्री हेमराज जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी उचनारखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. कैलाश बाई पुत्री हेमराज जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी उचनारखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. सोसर बेवा हेमराज जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी उचनारखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. भगवानलाल पिता हीरा जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी उचनारखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. मांगीलाल पिता गणेश जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी उचनारखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. जमनालाल पिता गणेश जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी उचनारखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
9. गमेरी बेवा गणेश जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी उचनारखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
10. उपपंजीयन अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज)
11. तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री नन्द किशोर चौहान —वादीया
अधिवक्ता श्री पवन जायसवाल —प्रतिवादी सं0 2, 3, 4
शेष एकतरफा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 15.07.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:21 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णय:—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व आदेश 7 नियम 1,2 सी0पी0सी0 के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि ग्राम उचनारखुर्द पटवार हल्का उचनारखुर्द, तहसील कपासन के हल्के बैरूना में आराजी नम्बर 490 रकबा 0.15

हेक्टयर, आराजी नम्बर 491 रकबा 0.16 हेक्टयर, आराजी नम्बर 492 रकबा 0.03 हेक्टयर, आराजी नम्बर 493 रकबा 0.06 हेक्टयर, आराजी नम्बर 494 रकबा 0.18 हेक्टयर, आराजी नम्बर 495 रकबा 0.18 हेक्टयर, आराजी नम्बर 496 रकबा 0.08 हेक्टयर, आराजी नम्बर 497 रकबा 0.09 हेक्टयर, आराजी नम्बर 498 रकबा 0.06 हेक्टयर, आराजी नम्बर 499 रकबा 0.04 हेक्टयर, आराजी नम्बर 500 रकबा 0.06 हेक्टयर, आराजी नम्बर 501 रकबा 0.06 हेक्टयर, आराजी नम्बर 502 रकबा 0.06 हेक्टयर, आराजी नम्बर 503 रकबा 0.05 हेक्टयर, आराजी नम्बर 511 रकबा 0.10 हेक्टयर, आराजी नम्बर 512 रकबा 0.04 हेक्टयर, आराजी नम्बर 513 रकबा 0.09 हेक्टयर, आराजी नम्बर 514 रकबा 0.03 हेक्टयर, कुल किता 18 कुल रकबा 1.52 हेक्टयर स्थित है। उक्त आराजीयात में से मुझ वादीया द्वारा आराजी संख्या 490 रकबा 0.15 हेक्टयर में से 0.05 हेक्टयर प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 के पति मृतक हेमराज से दिनांक 08.02.2017 के जरिये विक्रय विलेख प्रतिफल द्वारा खरीद कर मौके पर वास्तविक कब्जा प्राप्त किया तथा तब से ही मैं वादीया उक्त आराजीयात पर काबिज हूं तथा मेरे एवं मेरे परिवार के उपयोग–उपभोग में है। यह कि उक्त आराजीयात 490 रकबा 0.15 हेक्टयर में से 0.05 हेक्टयर, मुझ वादीया ने मृतक हेमराज पिता हंसराज जाट से 1/3 हिस्से में से क्रय किया था। मृतक हेमराज की मृत्यु हो जाने के बाद नामान्तण संख्या 581 निष्पादन दिनांक 09.12.2015 को विरासत से हेमराज के बजाय रामलाल, रामेश्वरलाल, गायत्री बाई, कैलाशबाई पिता हेमराज व सोसर बेवा हेमराज के नाम हेमराज के 1/3 सम्पूर्ण हिस्से को दर्ज कर दी, जबकि मुझ वादीया ने हेमराज की मृत्यु से पूर्व ही मौके पर प्रतिफल अदा कर कब्जा प्राप्त कर जरिये विक्रय विलेख के खरीद ली थी व उक्त खरीदशुदा आराजी का नामान्तरण मुझ वादीया के नाम खोले जाने हेतु पटवारी साहब से सम्पर्क कर विक्रय विलेख की फोटो प्रति दी, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 ने मिलीभगत कर उक्त नामान्तरण नहीं खोलने दिया व उक्त विक्रय विलेख का प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को भली भांती जानकारी थी फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मन में बदयान्ती आ जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने उक्त तथ्य जानकारी को छुपाते हुए अवैध रूप से नामान्तरण खुलवा अपने नाम दर्ज करा दी है जो गलत है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने उक्त विक्रय विलेख की जानकारी को छुपाते हुए गलत रूप से नामान्तण खुलवा मुझ वादीया की खरीदशुदा आराजीयात को अपने नाम करवा दिया है जिससे बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जाकर मुझ वादीया द्वारा खरीदशुदा उक्त 0.05 हैक्टयर भूमि को मुझ वादीया के नाम दर्ज किये जाने की डिक्री सादीर फरमाई जावें।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने उक्त विक्रय विलेख की जानकारी को छुपाते हुए गलत रूप से नामान्तण खुलवा मुझ वादीया की खरीदशुदा आराजीयात को अपने नाम करवा दिया है जिससे इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर आराजी संख्या 490 में से मुझ वादीया का 0.05 हेक्टयर भूमि वादीया के नाम अंकित किये जाने की डिक्री सादीर फरमाई जावें। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने उक्त विक्रय विलेख की जानकारी को छुपाते हुए गलत रूप से नामान्तण खुलवा मुझ वादीया की खरीदशुदा आराजीयात को अपने नाम करवा दिया है, उक्त गलत नामान्तरण की जानकारी होते ही मुझ वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को मेरे नाम 0.05 हेक्टयर भूमि को खातेदारी में दर्ज कराये जाने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने व धमकीयां दी कि हम तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे नाम नहीं करायेगें व उक्त सम्पूर्ण हक हिस्सा किसी अन्य के नाम खुर्द–बुर्द कर तुम्हे कब्जे से [illegible] कर देंगे, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादीर फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:21 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो मुझ वादीया को बेशुमार नुकसान होगा, जिसे रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा, अगर स्थाई

निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रतिवादी संख्या 6 से 9 आवश्यक पक्षकार होने तथा प्रतिवादी संख्या 10 श्रीमान् उपपंजीयन अधिकारी एवं 11 भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार साहब कपासन होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है।

यह कि वाद कारण खाता नकल प्राप्त कर जानकारी दिनांक 27.06.2017 को होने पर वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 राजकीय कर्मचारी होने से वाद पत्र की प्रस्तुती पूर्व धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण वाद पत्र के साथ धारा 80 (2) जा०दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अन्त में वादीया ने प्रार्थना की कि पक्ष वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार की घोषणा, इश्तकरार हक कि डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में मुझ वादीया की खरीदशुदा आराजी संख्या 490 रकबा 0.15 हेक्टयर में से 0.05 हैक्टयर का प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने गलत नामान्तरण खुला अपने नाम दर्ज करा दिया है जिससे उक्त आराजीयात मुझ वादीया के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज कर मुझ वादीया का नाम अंकित किये जाने की डिक्री सादीर फरमाई जावें।

(ख) पक्ष वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने उक्त विक्रय विलेख की जानकारी को छुपाते हुए गलत रूप से नामान्तण खुलवा मुझ वादीया की खरीदशुदा आराजीयात को अपने नाम करवा दिया है, उक्त गलत नामान्तरण की जानकारी होते ही मुझ वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को मेरे नाम 0.05 हेक्टयर भूमि को खातेदारी में दर्ज कराये जाने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने व धमकीयां दी कि हम तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे नाम नहीं करायेगें व उक्त सम्पूर्ण हक हिस्सा किसी अन्य के नाम खुर्द–बुर्द कर तुम्हें कब्जे से बेदखल कर देगे, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादीर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 मुझ वादीया को उक्त 0.05 हेक्टयर भूमि से बेदखल नहीं करे, दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जे में दस्तानदाजी नहीं करे, किसी अन्य को खुर्द–बुर्द कर किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 10 उक्त आराजी संख्या 490 का पंजीयन नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 11 रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। अन्य उचित व आवश्यक अनुतोष जो मुफिद वादीया को प्रदान करावे। हर्जा खर्चा मुकदमा मेहनताना वकील वादीया को प्रतिवादीगण से दिलावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6, 7, 8, 9 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से दिनांक 09.11.2017 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन जायसवाल ने अधिकार पत्र मय जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया का वाद पत्र स्वीकार फरमा डिक्री की जाना फरमावे।

साक्ष्यवादी में वादीया का शपथ पत्र प्रस्तुत कर नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 प्रदर्श–1, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श–2 जिसकी मूल प्रति प्रदर्श–2 प्रदर्श कराये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:21 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी। सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजो

के अवलोकन के स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व 5 के पति श्री हेमराज द्वारा वादीया सुशिला देवी के पक्ष में दिनांक 08.02.2007 को आराजी संख्या 490 रकबा 0.15 है0 में से अपने 1/3 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया गया। जो प्रदर्श–2ए है। उक्त आराजीयात में मृत्तक हेमराज का 0.05 हक हिस्से जरिये नामान्तरण संख्या 581 दिनांक 09.12.2015 से मृत्तक हेमराज के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज रेकार्ड हुआ। मृत्तक के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 द्वारा जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर वाद पत्र वादीया के पक्ष में स्वीकार की जाकर डिक्री की जाने का निवेदन किया है। अतः आराजी संख्या 490 रकबा 0.15 है0 में से 0.05 है0 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादीया के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजो व इकबालिया जवाब दावा के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा उचनारखुर्द पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के आराजी संख्या 490 रकबा 0.15 है0 में रामलाल, रामेश्वरलाल, गायत्रीबाई, कैलाशबाई पिता हेमराज, सोसर बेवा हेमराज 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार के बजाय सुशिला देवी पत्नि रोशन लाल जाति जायसवाल निवासी उचनारखुर्द के नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:21 IST
Reason: SelfAttested